



## राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-50/मछली/कृषि/2015-16/

दिनांक 05.10.2015

### अल्प कालीन निविदा-सह-निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में स्थित दो पक्की डिग्गीयों में वर्ष 2015-16 व 2016-17 हेतु मछली के बीज डालने, मछली पालने व पकड़ने को ठेका देने के लिए खुली बोली/ निविदाएं दिनांक 13.10.2015 को प्रातः 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 12.00 बजे खोली जायेगी। दिनांक 13.10.2015 को अंतिम निर्णय नहीं हो पाने पर खुली बोली/निविदा वैकल्पिक तिथि 19.10.2015 को निर्धारित समय तक होगी। जिसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। खुली बोली/निविदा में भाग लेने के लिए प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में फार्म के कृषि कार्यालय से रु. 200/- डी.डी. जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। खुली बोली/निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड की जा सकती है। डिग्गी न0-एक (102 x 102 x 4.2) के लिए धरोहर राशि रु. 5,000/- व डिग्गी न0-दो (250 x 120 x 3.3) के लिए रु. 10,000/- धरोहर राशि के डी.डी., जोकि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा/संलग्न करना होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। पहचान पत्र/आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

खुली बोली/निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.15 बजे तक कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रबंधक (उत्पादन)  
कृते निदेशक  
Manager (Production)  
N. S. C. Ltd.  
C. S. F., Jetsar -335702



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

Manager (Production)  
N. S. C. Ltd.  
C. S. F., Jetsar -335702

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-50/कृषि/2015-16/

दिनांक: 05.10.2015

### अल्प कालीन निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक के.रा.फा./जैत./10-50/कृषि/2015-16/ दिनांक .....  
निविदा भेजने हेतु पता:-

उप महाप्रबन्धक(फार्म)  
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर,  
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांक:- 13.10.2015 स्थान:- केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर,

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपर्युक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 2 तक के लिए वर्ष 2015-16 व 2016-17 की अवधि निविदा-सह-निलामी दिनांक से 31 मार्च, 2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :-.....
5. पैन नम्बर :-.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र/आधार कार्ड नम्बर आदि.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रु.200/-) रसीद संख्या.....दिनांक.....  
अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

### निविदा राशि प्रस्ताव(टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 2 तक के लिए वर्ष 2015-16 व 2016-17 की अवधि निविदा-सह-निलामी दिनांक 31 मार्च, 2017 तक ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्रमशः 2  
 Manager (Production)  
 N. S. C. Ltd.  
 C. S. F., Jetsar -335702

....2....

| ढेका न0 | जलाशय का प्रकार | ब्लॉक/चक संख्या | जलाशय का आकार* लम्बाई x चौड़ाई x गहराई | जलाशयों की संख्या | ढेका अनुसार निविदा मुल्य प्रस्ताव (Tender Offer) (रुपयों में) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1       | पक्की डिग्गी    | I / 3 BGD       | 102 x 102 x 4.2                        | 1                 |                                                               |
| 2       | पक्की डिग्गी    | II / 6 MGM      | 250 x 120 x 3.3                        | 1                 |                                                               |

(\* मीटर में)

### धरोहर राशि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरण:-

| ढेका नम्बर | बैंक ड्राफ्ट न0 एवं दिनांक | जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता | धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में) |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1          |                            |                                            |                                           |
| 2          |                            |                                            |                                           |

(उपर्युक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम .....

पूरा पता .....

.....

.....

मो0 न0.....

**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरल कम्पनी)  
**केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर**  
**जिला श्रीगंगानगर (राज0)**

  
**Manager (Production)**  
**N. S. C. Ltd.**  
**C. S. F., Jetsar -335702**

**केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर में पक्की डिग्गीयों में मछली पालने व बेचने के लिए निविदा सह नीलामी की नियम व शर्तें**

1. केन्द्रीय राज्य फार्म के अधिकार में उपलब्ध निम्न लिखित पक्की डिग्गीयों में मछली पालने व बेचने हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 की अवधि का ठेका निश्चित किया गया है। ठेके पर देने हेतु डिग्गीयों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| ठेका नं0 | जलाशय का प्रकार | ब्लॉक/चक संख्या | जलाशय का आकार*  | पक्की डिग्गीयों की संख्या |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1        | पक्की डिग्गी    | I / 3 BGD       | 102 X 102 X 4.2 | 1                         |
| 2        | पक्की डिग्गी    | II / 6 MGM      | 250 X 120 X 3.3 | 1                         |

(\* मीटर में)

- ठेका नं0- एक के लिए धरोहर राशि रु. 5,000/- (अखरे रुपये पाँच हजार मात्र) व ठेका नं0- दो की डिग्गी के लिए रु. 10,000/- (अखरे रुपये दस हजार मात्र) का डी0 डी0 जो 'राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC code SBIN0008251) देय हो, फार्म के खजांची के पास जमा कराना होगा। धरोहर राशि, कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
- धरोहर राशि के लिये चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को भी निरस्त किया जा सकता है।
- निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- मछली पालन का कार्य ठेका नं0 1 से 2 तक की अवधि वर्ष 2015-16 व 2016-17 (अवधि निविदा-सह-नीलामी दिनांक से 31 मार्च, 2017 तक) के लिए दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात् ठेकेदार का सम्बन्धित डिग्गीयों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
- ठेका नं0 1 से 2 तक सफल बोलीदाता/निविदादाता की बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, 50 प्रतिशत अगले 30 दिवस में तथा शेष बची राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करवानी होगी। सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा प्रथम चौथाई राशि जमा कराने के बाद अन्य निविदादाताओं की अमानत राशि लौटाई जायेगी।
- सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभुति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जोकि ठेका समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
- सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैंक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
- ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पूर्ण पते सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकड़ने हेतु दाखिल नहीं होगा।
- डिग्गीयों में मछली का बीज डालने, पालन-पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये डिग्गीयों से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियाँ, कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालना, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो, उनमें परीक्ष या अपरीक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियाँ जब्त कर ली जायेगी।
- यदि मछली पकड़ने पर टैक्स/चूँगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध/भुगतान ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्च पर करना होगा।
- डिग्गीयों में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतयः डिग्गीयों में संचयित पानी में से ऊपर से डिग्गी नं0-एक से लगभग 9.0 फीट व डिग्गी नं0-दो से लगभग 6.0 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता रहेगा। शेष बचा हुआ पानी लगभग 5.0 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी होने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 5.0 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ठेकेदार को ठेके पर दिये गये डिग्गीयों में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- मतस्य बीज संग्रहण, मछली पालन एवम् पकड़ना, मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होंगे। रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।
- किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।

19. मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. ठेकेदार को मत्स्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।
22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
23. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
24. निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पत्र के अभाव में यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदा/बोलीदाता के पास नहीं पहुँचती है तो फार्म की जिम्मेवारी नहीं होगी।
25. फार्म अधिकारी को निविदा/निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
26. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्त संख्या 23 के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें।
27. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
28. ₹.100/- के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा।
29. किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लि० के माननीय अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जाएगा जिसका फैसला अंतिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा, फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर के क्षेत्राधिकार से संबंधित ही न्यायालय मान्य होगा।

**घोषणा:-**

मैंने फार्म में मछली ठेके की निविदा-सह-निलामी की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी, बिना किसी दबाव के, पूर्ण होशोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

स्थान.....

  
Manager (Production)  
N. S. C. Ltd.  
C. S. F., Jetsar -335702

निविदा/बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक.....